करने हेतु अवसर चाहते हो वकील वादी ने प्रा-पत्र 07 R11 व धारा 151 जा.डी. का जवाब पेश किया जिसे शा. पर लिया जाकर जवाब की प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई, उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की प्रा०पत्र 07 R11 व धारा 151 जा.डी. पर बहस सुनी गयी, वास्ते पत्राव में प्रा.पत्र 07 R11 व धारा 151 जा.डी. के आदेश हेतु नियत दिनांक 23.7.24 को पेश हो।

23/7/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस प्रा०पत्र 07R11 व धारा 151 CPC पर सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम माण्डल की आ० नं० 5803/2 रकबा 0.2150 हैक्टर व आ० नं० 5806/3 रकबा 0.1645 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.3795 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी सं० 1 द्वारा वादी को 9 वर्ष पूर्व विश्वास एव झांसे में लेकर वादी को विश्वास दिलाया कि आराजीयात की प्लोटिंग करेंगे तो वादी को बहुत फायदा होगा। इसके लिए प्रतिवादी सं० 1 ने आराजीयात को कन्वर्ट करने के नाम पर वादी के 100-100 रुपये के 30 खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर कराये व वादी से कन्वर्ट कराने के नाम पर प्रतिवादी ने अनाप-शनाप रुपये लिये है। प्रतिवादी उक्त स्टाम्पों को उपयोग कर सम्पूर्ण भूमि से वादी को

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	बेदखल कर चौपट आमादा है। इस वजह से प्रतिवादी की डिक्री प्रदान की सं० 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्ध में जाने का वाद पत्र पेश किया। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी सं० 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के खण्ड ए के अनुसार जहाँ वाद पत्र में वाद हेतुक (कार्यवाही का कारण) प्रकट नहीं होता है अथवा खण्ड डी के अनुसार जहाँ वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है विवाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो तो दोनों दशाओं में वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जायेगा। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के किसी भी पैराग्राफ में अवर्णित नहीं किया कि प्रतिवादी सं० 1 ने वादी से 9 वर्ष पूर्व किस दिनांक को किस स्थान पर 100-100 रुपये के 30 स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाये व कितने-2 रुपये किस दिनांक व स्थान पर दिए कितनी राशि नकद व कितनी राशि के चैक लिए उसका कोई विवरण वाद में अंकित नहीं किया है ऐसी स्थिति में यदि वाद में मौलिक तथ्यों व विवरण की कमी है तो वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के खण्ड-ए के तहत खारिज कर दिया जाएगा। स्वयं वादी ने अपने वाद में 9 वर्ष पूर्व प्रतिवादी सं० 1 द्वारा खाली 100-100 रु० के 30 स्टाम्प हस्ताक्षर करवा कर ले लिए तो वाद कारण आज से 9 वर्ष पूर्व ही उत्पन्न हो चुका था फिर वाद में वाद कारण 12 दिसम्बर, 2023 जो अंकित किया है वह बेबुनियाद व कपोल कल्पित है। इस प्रकार वादी को प्रतिवादी सं० 1 के विरुद्ध 3 वर्षों की अवधि के भीतर वाद पेश कर देना चाहिए था परन्तु समय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीमा में यह वाद पेश नहीं किया है अतः आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खण्ड डी के तहत परिसीमा द्वारा वार्जित होने से खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। बहस में वकील अर्थी (प्रतिवादी सं01) ने प्रार्थना पत्र O.7 R.11 CPC के प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र मांग स्थाई निषेधाज्ञा का है वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 5.1.2023 को सूचना पत्र प्रेषित करवाया और आम सूचना समाचार पत्र में दिनांक को प्रकाशित करवाई थी तब से लेकर दिनांक 12-12-2023 को प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी दी तब से वाद हेतुक उत्पन्न हुआ जो निरन्तर है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 जा0दी0 का जो पूर्व में पेश किया उसे न्यायालय श्रीमान द्वारा खारीज करने के बाद मुक वादी को तंग व परेशान करने की गरज से व मामले को लम्बा करने के आशय से बिना आधारों के यह एक और प्रार्थनापत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा प्रस्तुत वाद एवं अंकित तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0का0	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	प्रस्तुत किया। वादी ने आपत्ति में एक बेवजह प्रस्तुत 12 दिसम्बर, 2003 से उत्पन्न होकर वाद कारण 12 दिसम्बर, 2003 से उत्पन्न होकर निरन्तर होना बताया जो सही नहीं है। क्योंकि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के साथ प्रतिवादी सं० 1 ने वादी द्वारा 100-100 रुपये के 30 स्टाम्प खरीदे जाने सम्बन्धित दस्तावेज श्रीमती कृष्णा हेडा लाइसेंस नं० 20/2004 के स्टाम्प विक्रय रजिस्टर की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की जिसमें क्रमांक 18676 दिनांक 18/12/2014 को रामस्वरूपलाल मीणा पिता हजारीलाल मीणा नि० भीलवाड़ा द्वारा 100/- रु० के 30 स्टाम्प विक्रय पत्र हेतु खरीदने का इन्द्राज पाया गया है एवं पत्रावली में संलग्न 100-100 रु० के स्टाम्प पर स्वयं वादी के हस्ताक्षर होना भी अंकित है। इसके पश्चात प्रतिवादी सं० 1 ने समाचार पत्र में दिनांक 28 जनवरी, 2015 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जाना प्रस्तुत समाचार पत्र व अभिभाषक श्री एम०एस० त्रिपाठी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 विनोद कुमार रांका की ओर से सार्वजनिक सूचना पत्र जारी किया जाना प्रतीत होता है। वादी ने अपने वाद में कथन किया कि कन्वर्जन के नाम से ये 100-100 रु० के 30 स्टाम्प प्रतिवादी सं० 1 के कहने से वादी ने खरीदे जो गलत है क्योंकि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु 2007 के नियमों में एक आवेदन पत्र निर्धारित है उसके साथ किसी भी प्रकार के स्टाम्प की आवश्यकता नहीं होती है इस प्रकरण में पूरे 30 स्टाम्प इस कार्य हेतु क्रय करना बताया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। सार्वजनिक सूचना पत्र में वाद वर्णित आराजियात

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म ब./ तामील में जारी हुए
में वादी द्वारा भूखण्ड कोरे जाना व उन्हें प्रतिवादी सं० 1 को जरिये विक्रय इकरार दि० 18/12/15 से विक्रय करने व मौके पर कब्जा सौंपना प्रतीत होता है। स्वयं वादी ने अपने वाद की चरण सं० 5 में उक्त घटना 9 वर्ष पूर्व की होना बताया है फिर वाद में 12/12/2023 से वाद कारण उत्पन्न होना जो अंकित किया है वह कपोल कल्पित है। वादी के द्वारा यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 RTA का पेश किया है जिसके लिए परिसीमा अवधि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की तृतीय अनुसूची में तीन वर्ष निर्धारित की हुई है। इस प्रकार वादी के द्वारा यह वाद पत्र वर्ष 2018 में पेश नहीं कर 2023 में पेश किया है जो इस अनुसूची अनुसार व आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत उचित नहीं होने से प्रार्थी (प्रतिवादी सं० 1) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पेशकार तहसीलदार माण्डल उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को जवाब व प्रतिदावा की प्रति उपलब्ध करावें। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिदावा दिनांक 6.8.24 को पेश हो।	
उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	
पुनश्च:- प्रकरण के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रश्नगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 188 R.T.A	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	का है तथा प्रतिवादी पेशकार भूमि धारी तहसीलदार माण्डल के द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत जवाब के साथ प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए पक्षकारान के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया है। चूंकि वाद संख्या 83/23 अन्तर्गत धारा 188 R.T.A को खारीज किया जा चुका है ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे गुणावगुण पर निर्णय हेतु तहसीलदार माण्डल के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अलग से दर्ज किया जावे। तहसीलदार माण्डल के जवाब की एक प्रमाणित फोटो प्रति वाद सं. 83/23 मे सलंग्न की जावे। अत: वाद स. 83/23 को फैसल शुमार कर नम्बर से कम किया जावे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	